

## फुटपाथ विक्रेता चार्टर

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014, की धारा 26 के अंतर्गत नगर विक्रय समिति, ~~श्रीधरपुर~~.....नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पंचायत द्वारा पथ विक्रेता से संबन्धित क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किए जाने हैं।

| क्रम. सं. | सेवाएँ  | अपेक्षित दस्तावेज़ (प्रतिलिपि)  | फीस     | समयावधि   | अधिकृत अधिकारी  | अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सके |
|-----------|---|---|---------|---|---|---|
| 1         | 2   | 3   | 4       | 5   | 6   | 7   |
| 1.        | पंजीकरण   | <ol style="list-style-type: none"> <li>परिवार का फोटो</li> <li>फुटपाथ विक्रेता का फोटो</li> <li>आधार कार्ड की प्रतिलिपि</li> <li>मोबाइल App के द्वारा GIS आधारित सर्वेक्षण</li> </ol> | निशुल्क | 7 दिन   | सामुदायिक संगठक /<br>नगर मिशन प्रबन्धक<br>57021081 कुमर<br>(नगर मिशन - सर्वेक्षण)<br>कुशाळ पारसणी<br>(नगर मिशन - सर्वेक्षण) | नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी                    |
| 2.        | फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र का जारी करने हेतु | <ol style="list-style-type: none"> <li>SULM वैबसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी</li> </ol>  | निशुल्क | सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया | नगर मिशन प्रबन्धक<br>570 21081- कुमर  | नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी                    |

| क्रम. सं. | सेवाएँ  | अपेक्षित दस्तावेज़ (प्रतिलिपि)   | फीस  | समयावधि  | अधिकृत अधिकारी                       | अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सके |
|-----------|---|--|--|--|--------------------------------------|---|
|           |   |  |  | जाना है।   |                                      |   |
| 3.        | विक्रय प्रमाण पत्र का जारी करने हेतु  | 1. SULM वैबसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी  | निशुल्क                                    | सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया जाना है। | नगर मिशन प्रबन्धक<br>डा० राजेश कुमार | नगरआयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी                     |
| 4.        | प्रत्येक पाँच वर्षों पर फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र पहचान/प्रमाण पत्र नवीकरण हेतु | 1. पुराना निर्गत फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र एवं नवीनतम सर्वे द्वारा किए गए पंजीकरण के आधार पर | विक्रय प्रमाण पत्र का नवीकरण हेतु- 500/रु. | दो महीने के अंदर   | नगर मिशन प्रबन्धक<br>डा० राजेश कुमार | नगरआयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी                     |

| क्रम. सं. | सेवाएँ   | अपेक्षित दस्तावेज़ (प्रतिलिपि)                             | फीस    | समयावधि | अधिकृत अधिकारी                          | अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सके |
|-----------|--|--|--------|---------|---|---|
| 5.        | फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र duplicate निर्गत करने हेतु | 1. नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध डाटा/दस्तावेज़ के आधार पर | 50/रु. | 7 दिन   | नगर मिशन प्रबन्धक<br>S/O राधेश<br>कुमार | नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी                    |

अध्यक्ष,

नगर विक्रय समिति,

नाउबातपुर.....नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पंचायत ।

अ.ना.

21/12/2020  
Executive Officer  
Nagar Panchayat, Naubatpur

21/12/20